



2026:AHC:45364

निर्णय सुरक्षित : 19.02.2026

निर्णय प्रदत्त : 27.02.2026

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या-1550 वर्ष 2021

सूरजपाल

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : श्री राजीव साहनी, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विपिन गंगवार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.), श्री गिरजा शंकर सेन, श्री कृष्ण दत्त अवस्थी

साथ में :

1. दण्डिक अपील संख्या-640 वर्ष 2021

उदय पाल

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय संख्या – 90

माननीय न्यायमूर्ति मनोज बजाज

1. अपील करने वाले सूरजपाल और उदय पाल, बरेली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 16.12.2020 को मुकदमा अपराध संख्या 249/2020 (जो मुकदमा अपराध संख्या 217/2015 से जुड़ा है और आंवला पुलिस स्टेशन, जिला बरेली में दर्ज हुआ था) में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले से नाराज़ हैं। इस फैसले में उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी और 506 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी के तहत बीस साल की कठोर सजा और हर एक पर 25,000 रुपये का जुर्माना; भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत तीन साल की सजा और हर एक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना न भरने पर उन्हें क्रमशः तीन महीने और पंद्रह दिन की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया था। सज़ाएँ एक साथ चलेंगी।

2. यह प्राथमिकी धर्मपाल की 9.6.2015 की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। उन्होंने आंवला पुलिस स्टेशन, जिला बरेली के स्टेशन हाउस ऑफिसर को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि वे गांव पनवरिया, पुलिस स्टेशन आंवला, जिला बरेली के रहने वाले हैं। 8.6.2015 को शाम करीब 5 बजे उनकी बेटी गांव से चारा ला रही थी। रास्ते में गांव के ही रहने वाले सूरजपाल (पिता दिलसुख) और उदय पाल (पिता कन्हैया लाल) ने, जो नशे में थे, उनकी बेटी को बुरी नीयत से राकेश के खेत में खींच लिया। उन दोनों ने ज़बरदस्ती उनकी बेटी के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ रेप किया। जब शिकायतकर्ता की बेटी चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तो सूरजपाल ने कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया। रेप के बाद, वे दोनों उनकी बेटी को खेत में नग्न हालत में छोड़कर चले गए और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसे धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को यह बात बताई, तो इसके बुरे नतीजे होंगे। फटे हुए कपड़ों में उनकी बेटी घर पहुंची और उन्हें घटना के बारे में बताया। शिकायतकर्ता ने पीड़िता की उम्र 14 साल बताई और केस दर्ज करने की मांग की। मोटे तौर पर, इन्हीं आरोपों के आधार पर, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(जी) और 506, तथा 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' की धारा 4 के तहत अपराध करने के आरोप में मुकदमा अपराध संख्या 217/2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

3. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, मामले की जांच इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (जांच अधिकारी) अनूप सिंह राठी (सब-इंस्पेक्टर) ने की। उन्होंने शिकायतकर्ता धर्मपाल, उनकी पत्नी जीरा देवी, पीड़िता और राकेश के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान, पीड़िता की 11.6.2015 की मेडिकल रिपोर्ट ली गई और घटना स्थल का नक्शा (साइट प्लान) भी तैयार किया गया। अन्य औपचारिक गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए और आखिर में आरोपियों के खिलाफ सीआर.पी.सी. की धारा 173(2) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई, ताकि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी, 506 और 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' (पॉक्सो एक्ट) की धारा 6 के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया जा सके।

4. इसके बाद, मामले को स्पेशल न्यायालय में भेजा गया और 11.5.2016 के आदेश के तहत, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 की धारा 6 के तहत अपराध करने के आरोप तय किए गए। अपील करने वाले आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया और मुकदमे की कार्यवाही का सामना करने का फैसला किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. आरोपियों का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की: धर्मपाल (पीडब्लू-1), पीड़िता (पीडब्लू-2), जीरा देवी-पीड़िता की माँ (पीडब्लू-3), डॉ. शिल्पी केसरवानी (पीडब्लू-4), कॉन्स्टेबल रणवीर सिंह (पीडब्लू-5), डॉ. एस.एस. चौहान (पीडब्लू-6) और जांच अधिकारी अनूप सिंह राठी (पीडब्लू-7)। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी सबूत भी पेश किए, जैसे लिखित शिकायत (प्रदर्श 'क'-1), सीआर.पी.सी.. की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान (प्रदर्श 'क'-2), मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श 'क'-3), सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श 'क'-4), पैथोलॉजी रिपोर्ट (प्रदर्श 'क'-5), एफएसएल (प्रदर्श 'क'-6), चेक रिपोर्ट (प्रदर्श 'क'-7), जी.डी. एंट्री (प्रदर्श 'क'-8), उम्र का प्रमाण पत्र (प्रदर्श 'क'-9), घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श 'क'-10), चार्ज शीट (प्रदर्श 'क'-11)।

6. अभियोजन पक्ष के सबूत पूरे होने के बाद, 1.2.2020 को सीआर.पी.सी.. की धारा 313 के तहत आरोपी-अपीलकर्ताओं के अलग-अलग बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के सबूतों को नकार दिया। हालांकि, आरोपियों की ओर से बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। बाद में, 19.10.2020 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत लगे आरोप को बदलकर भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी कर दिया गया।

7. अभियोजन पक्ष के मामले, सबूतों और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री का विश्लेषण करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपील करने वाले आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी, 506 और 'बच्चों को यौन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें बीस साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई। 16.12.2020 के दोषी ठहराने के फैसले और सज़ा के आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने ये अलग-अलग अपीलें दायर कीं।

8. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता श्री राहुल सक्सेना (जिनकी मदद अधिवक्ता श्री विपिन गंगवार ने की) ने तर्क दिया कि 8.6.2015 की कथित घटना तीन गवाहों – पीड़िता और उसके माता-पिता – द्वारा साबित होती है, लेकिन उनके बयानों में बड़ी विसंगतियां हैं और विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते समय इन पर ध्यान नहीं दिया। अधिवक्ता का कहना है कि गवाहों पीडब्लू-1, पीडब्लू-3 (पीड़िता के माता-पिता) और पीडब्लू-2 (पीड़िता) के अनुसार, शिकायतकर्ता की छोटी बेटी ने घटना देखी थी, लेकिन उसे गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया। अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़िता के आँखों-देखे बयान को मेडिकल सबूतों (एफएसएल रिपोर्ट सहित) से कोई समर्थन नहीं मिलता है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप बिना किसी संदेह के साबित कर दिए हैं।

9. अपील करने वालों के अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता के भतीजे, यानी पप्पू की पत्नी, अपील करने वाले सूरजपाल के साथ भाग गई थी। इसी दुश्मनी के कारण शिकायतकर्ता ने सूरजपाल और उसके भतीजे उदयपाल को झूठे मामले में फँसाया। अधिवक्ता राहुल सक्सेना के अनुसार, मुख्य गवाह (पीड़िता/पीडब्लू-2) ने जिरह के दौरान माना कि पप्पू (शिकायतकर्ता का भतीजा) की पत्नी सूरजपाल के साथ भाग गई थी। इसके अलावा, अपील करने वालों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हालाँकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार आरोपियों ने पीड़िता के कपड़े

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फाड़ दिए थे, लेकिन जाँच के दौरान ऐसा कोई सबूत इकट्ठा नहीं किया गया या विचारण न्यायालय के सामने पेश नहीं किया गया। अपील करने वालों के अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों की ओर इशारा करना जारी रखा और अंत में कहा कि 16.12.2020 का दोषी ठहराने वाला फैसला विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले की कमियों को नज़रअंदाज़ करके सुनाया है। उन्होंने अनुरोध किया कि 16.12.2020 के दोषी ठहराने वाले फैसले और सज़ा के आदेश को रद्द किया जाए और अपील करने वालों को बरी किया जाए।

10. दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मौर्य की मदद से ए.जी.ए. श्री एच.पी. गुप्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया अपराध गंभीर है और मुख्य गवाह पीडब्लू-2 (पीड़िता) ने स्पष्ट रूप से दोनों आरोपियों के नाम बताए और उनके खिलाफ अपराध करने में उनकी भागीदारी की गवाही दी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 (पीड़िता के माता-पिता) के बयानों ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और केवल इसलिए कि पीड़िता की छोटी बहन से गवाह के तौर पर पूछताछ नहीं की गई, अभियोजन पक्ष के बयान पर संदेह करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने पीडब्लू-4 डॉ. शिल्पी केसरवानी की गवाही का हवाला दिया और तर्क दिया कि उन्होंने 11.6.2015 की मेडिकल जांच रिपोर्ट (प्रदर्श 'क'-3) को साबित किया और इस गवाह के अनुसार, उन्हें पीड़िता के साथ यौन संबंध के सबूत मिले क्योंकि उसका हाइमन फटा हुआ था। इसी तरह, ए.जी.ए. ने भी इसी तरह के तर्क दिए कि पीडब्लू-6 डॉ. एस.एस. चौहान के अनुसार, पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष थी, इसलिए, उसके खिलाफ किए गए कथित अपराधों के लिए आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए केवल उसकी गवाही ही काफी है। अंत में, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने कहा कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के सबूतों का सावधानीपूर्वक और सही तरीके से विश्लेषण किया है और सही निष्कर्ष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है, इसलिए, अधिवक्ता के अनुसार, दोषसिद्धि के फैसले और 16.12.2020 के सजा के आदेश में इस न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

11. पक्षों के वकीलों को सुना गया और उनकी मदद से केस फ़ाइल और विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की गई।

12. शिकायतकर्ता-पीडब्लू-1 के अनुसार, जब उनकी 14 साल की नाबालिग बेटी (पीड़िता) चारा इकट्ठा करके घर लौट रही थी, तो आरोपी सूरजपाल और उदय पाल ने उसे रास्ते में रोका, राकेश के खेत में खींच ले गए और एक गड्ढे में उसके साथ रेप किया। 8.6.2015 की इस कथित घटना की सूचना पीडब्लू-1 ने 9.6.2015 को लिखित शिकायत के ज़रिए पुलिस को दी थी, और अभियोजन पक्ष का पूरा मामला तीन गवाहों – शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1), पीड़िता (पीडब्लू-2) और पीड़िता की माँ (पीडब्लू-3) – की गवाही पर टिका है। इन अहम गवाहों के अनुसार, घटना शाम 5 बजे एक खुली जगह पर हुई थी और डॉ. शिल्पी केसरवानी का बयान पीडब्लू-4 के तौर पर दर्ज किया गया, जिन्होंने पीड़िता की मेडिकल जाँच की थी और मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श.का.-3) को साबित किया था। श्री रणवीर सिंह (पीडब्लू-5) एक औपचारिक गवाह हैं, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि डॉ. एस.एस. चौहान (पीडब्लू-6) ने पीड़िता की उम्र के बारे में मेडिकल राय (प्रदर्श 'क'-9) दी थी कि वह लगभग 16 साल है। श्री अनूप सिंह राठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(पीडब्लू-7) जाँच अधिकारी हैं, जिन्होंने जाँच की, जाँच के दौरान सबूत इकट्ठा किए और आखिर में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट (प्रदर्श 'क' -11) दाखिल की।

13. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला मुख्य गवाहों - पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 - की गवाही की मज़बूती पर परखा जाना है। इनमें से, पीड़िता (पीडब्लू-2) मुख्य गवाह है, जिसके साथ कथित अपराध हुआ था। पीडब्लू-2 के बयान से पता चलता है कि जब आरोपी ने अपराध किया, तो उसकी छोटी बहन श्यामवती उसके साथ थी। पीड़िता के बयान के अनुसार, आरोपियों ने रेप करने से पहले उसकी बहन को बांध दिया था। इस तरह, पीड़िता की बहन घटना की प्रत्यक्षदर्शी (प्रत्यक्षदर्शी) थी, लेकिन अजीब बात है कि न तो उसे जांच में शामिल किया गया और न ही बाद में अपनी बड़ी बहन (पीडब्लू-2) के बयान को मज़बूती देने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर बुलाया गया। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, जिसमें जांच अधिकारी की गवाही भी शामिल है, में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी श्यामवती पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

14. इसके अलावा, पीड़िता (पीडब्लू-2) के अनुसार, दोनों आरोपियों द्वारा रेप किए जाने से पहले उन्होंने जो कपड़े (सलवार, कमीज़ और दुपट्टा) पहने थे, उन्हें आरोपियों ने फाड़ दिया था। पीड़िता ने अपने बयान में साफ़ तौर पर कहा कि सूरजपाल द्वारा अपराध किए जाने के कारण उसकी छाती और पीठ पर चोटें आईं और खून भी निकला; उसने यह भी कहा कि उदय पाल द्वारा रेप किए जाने से भी उसे वैसी ही और चोटें आईं। इस मोड़ पर, यह न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मेडिकल सबूतों का विश्लेषण करना उचित समझता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे अभियोजन के मामले का समर्थन करते हैं, लेकिन 11.6.2015 की मेडिकल जांच रिपोर्ट (प्रदर्श

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



‘क’-3) को पढ़ने पर पीड़िता (पीडब्लू-2) को लगी चोट का कोई निशान नहीं दिखता है। इसके अलावा, इससे यह भी पता चलता है कि पीड़िता का हाइमन पहले से ही फटा हुआ और ठीक हो चुका था।

15. डॉ. शिल्पा केसरवानी (पीडब्लू-4) के सबूतों को देखने से यह बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि पीड़िता को वैसी कोई चोट नहीं आई थी जैसा उसने बयान दिया था। इस प्रकार, चश्मदीद गवाह के बयान और मेडिकल सबूतों के बीच विरोधाभास भी अभियोजन के मामले पर शक पैदा करता है।

16. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के दिन पीड़िता ने जो कपड़े पहने थे, जिन्हें आरोपियों ने फाड़ दिया था, उन्हें जांच अधिकारी ने जांच के दौरान इकट्ठा नहीं किया था। पीड़िता (पीडब्लू-2) के अनुसार, उसने फटे हुए कपड़े घटना स्थल पर ही छोड़ दिए थे और नग्न अवस्था में घर लौटी थी; रास्ते में उसे लगभग दस से बीस लोगों ने देखा था। पीडब्लू-1 के बयान के अनुसार, पीड़िता का घर घटना स्थल से 125 मीटर की दूरी पर है, इसलिए यह बात समझ से परे है कि अगर सचमुच उसकी छोटी बहन उसके साथ थी, तो वह अपनी बड़ी बहन के नग्न शरीर को ढकने की कोई कोशिश नहीं करती।

17. गवाहों (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3) का बयान पीड़िता के बयान से अलग है, खासकर पीड़िता के कपड़ों के मामले में; पीड़िता ने विचारण न्यायालय के सामने कहा था कि वह फटे हुए कपड़े पहनकर घर लौटी थी। जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के फटे हुए कपड़े मांगने पर भी उन्हें नहीं सौंपे गए; इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले में यह बड़ी विसंगति अभियोजन पक्ष के मामले की सच्चाई पर भी सवाल उठाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. पीड़िता के माता-पिता, जिनसे पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 के तौर पर पूछताछ की गई थी, घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं क्योंकि उन्हें घटना के बारे में पीड़िता से पता चला था। ज़ाहिर है, शिकायतकर्ता को भी घटना की जगह का पता नहीं था, लेकिन अजीब बात है कि जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1) के साथ घटनास्थल का दौरा करने के बाद साइट प्लान (प्रदर्श का-10) तैयार किया, और उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया कि उन्होंने पहले अपनी बेटी के साथ घटनास्थल देखा था या उनकी बेटी ने उन्हें घटनास्थल के बारे में बताया था। इसके अलावा, साइट प्लान (प्रदर्श का-10) को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पॉइंट-बी, जहां से आरोपियों ने पीड़िता को खींचा था मुख्य सड़क से जुड़ने वाले एक कच्चे रास्ते पर स्थित है, और उसे पॉइंट-ए - उस गड्ढे - तक ले जाया गया जहां बलात्कार किया गया था। साइट प्लान में यह भी बताया गया है कि पॉइंट बी और ए के बीच की दूरी दस कदम है, और पीडब्लू-3 के अनुसार लोग अक्सर कच्चे रास्ते के पास घूमते रहते थे, इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों द्वारा किया गया अपराध किसी की नज़र में नहीं आया। हालांकि, अभियोजन पक्ष और पीड़िता का यह कहना है कि जब आरोपियों ने अपराध किया तो उसकी छोटी बहन उसके साथ थी, लेकिन साइट प्लान में उस जगह का बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं है जहां अपराध करने से पहले आरोपियों ने छोटी बहन को बांधा था।

19. इस तरह, ऊपर की चर्चाओं को देखते हुए, यह न्यायालय यह कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत ही इस मामले पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं और आरोपी पर लगे आरोप बिना किसी संदेह के साबित नहीं हुए हैं। इस मोड़ पर, न्यायालय को आरोपी का यह बचाव सही लगता है कि शिकायतकर्ता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ने उन्हें मामले में झूठा फंसाया है, क्योंकि सूरजपाल, पप्पू (शिकायतकर्ता के भतीजे) की पत्नी पूजा के साथ भाग गया था; भागने की बात को अभियोजन पक्ष की गवाह ने भी जिरह के दौरान स्वीकार किया है।

20. अब अभियोजन पक्ष के मामले की दूसरी तरफ से जांच करने पर यह भी साफ हो जाता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद अभियोजन पक्ष के सबूत आरोपियों के बेगुनाह होने के दावों के खिलाफ नहीं हैं। 16.12.2020 के दोषी ठहराने और सजा सुनाने के फैसले और आदेश को देखने से पता चलता है कि विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के मामले में अहम विसंगतियों को नजरअंदाज करके अभियोजन पक्ष के सबूतों का सही ढंग से मूल्यांकन करने में विफल रहा है, इसलिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होगा।

21. नतीजतन, अपीलें सफल होती हैं और 16.12.2020 का दोषी ठहराने और सजा सुनाने का फैसला और आदेश रद्द किया जाता है, और अपीलकर्ताओं सूरजपाल और उदय पाल को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। आरोपी-अपीलकर्ता जेल में हैं; अगर किसी अन्य अपराध/मामले में उनकी ज़रूरत न हो, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

22. अपीलें स्वीकार की जाती हैं। रिकॉर्ड और कार्यवाही तुरंत विचारण न्यायालय को वापस भेजी जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति मनोज बजाज)

दिनांक : 27 फरवरी, 2026

पी.एस. परिहार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”